आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल
विविध वाद संख्या 126 / 2019–2020
(भूदान पत्र–दान पत्र संपुष्टि)
आदेश

16/08/2024

दाता श्री बाके शर्मा, पिता–शिव नन्दन शर्मा, ग्राम–झूनाठी, थाना–करपी, जिला–अरवल से संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्ट हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान–यज्ञ–दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान–यज्ञ–दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
102	—	05 कटटा	उतर–देवनाथ सिंह वगैरह दक्षिण–सड़क पूरब–सड़क पश्चिम–विशुन सिंह

मौजा–झुनाठी, थाना नं०–52, थाना+अंचल–करपी, जिला–अरवल

भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। दाता की उपस्थिति हेतु कार्यालय पत्रांक 843 दिनांक 31.12.2019 से अंचल अधिकारी, करपी के माध्यम से नोटिस तामिला कराया गया एवं पत्रांक 841 दिनांक 31.12.2019 द्वारा जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई। अंचल अधिकारी, करपी द्वारा नोटिस तामिला एवं जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। अंचल अधिकारी, करपी के जॉच प्रतिवेदन के आलोक में कब्जाधारी मिथलेश शर्मा, पिता–बॉके शर्मा को नोटिस निर्गत किया गया। कब्जाधारी न्यायालय में उपस्थित नही हुए और ना ही किसी के द्वारा वर्णित भूमि के संबंध में कोई आपति दाखिल किया गया।

भूदान यज्ञ–दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, करपी के जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। भूदान यज्ञ दान पत्र पर दाता का हस्ताक्षर अंकित है। भूदाता द्वारा वर्णित भूमि दिनांक 29.01.1954 में दान दिया गया है। अंचल अधिकारी, करपी ने जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि हीराधर सिंह वो जगेश्वर सिंह, पिता–धूपनारायण सिंह इत्यादि नाम से खतियान दर्ज है। जमाबंदी रैयत केता बॉके शर्मा, पिता–शिवनन्दन सिंह के नाम से जमाबंदी संख्या–53/1 दर्ज है जिसमें खाता संख्या–102 नही है। खाता संख्या–102 में खेसरा संख्या–321, 879, 888, 13, 35, 1406, 1548, 8, 808, 1796, 1797, 2070 इत्यादि दर्ज है। प्रस्तावित भूमि भूहदबंदी, गैरमजरूआ आम,खास, कैसरे हिन्द, मंदिर, मस्जिद, श्मशान, चिरारी आदि से मुक्त है। इस प्रकार चूँकि प्रश्नगत् भूमि की जमाबंदी भू–दाता के नाम से चल रही है एवं वर्तमान में विषयगत भूमि पर भू–दाता के पुत्र को दखल कब्जा है। साथ ही यह भी कि किसी के द्वारा कोई आपति दर्ज नही की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि भू–दाता की तिथि पर प्रश्नगत् भूमि में भू–दाता का Right Titel Intrest था।

अतः भूदाता द्वारा भूदान यज्ञ दान पत्र के माध्यम से प्रस्तावित भूमि दिनांक 29.01.1954 में दान में दिया गया है जबकि भूदान भूमि वितरण जॉच आयोग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) बिहार सरकार पटना के पत्रांक 799 दिनांक 06.01.2020 के दान की तिथि 01.09.1954 के पूर्व प्रभावी है। वैसी स्थिति में भूदान यज्ञ दान पत्र में वर्णित भूमि को संपुष्ट की जाती है। इसकी एक प्रति कार्यालय मंत्री भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल एवं अंचल अधिकारी, करपी को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित
16/08/2024
भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

16/08/2024
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।